विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली



आमंत्रण

फा.सं.23 / 26 / समन-IV / 2023 / वि.स.स.-VII / विधायी / £329 / दिनांकः 09.03.2023

मुझे आपको सादर सूचित करना है कि माननीय उपराज्यपाल ने दिनांक 07 मार्च, 2023 को सहर्ष निम्नलिखित आदेश दिया है:—

"आदेश

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (सन् 1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या—1) की धारा—6 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा का चतुर्थ सत्र (बजट सत्र) शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे से असेम्बली हॉल, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054 में आहूत करता हूँ।

ह0/-(विनय कुमार सक्सेना) उपराज्यपाल, दिल्ली"

मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप विधान सभा के सत्र में तदनुसार सम्मिलित हों।

(राज कुमार) सचिव

माननीय सदस्यगण, विघान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI



SUMMONS

No. 23/26/Summon-IV/2023/LAS-VII/Leg./ 23 291

Dated: 09/03/2023

I have the honour to inform you that the Hon'ble Lieutenant Governor is pleased to issue the following Order on 07 March, 2023:-

"ORDER

In exercise of the power conferred upon me by Section 6(1) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act no.1 of 1992), I hereby summon the Fourth Session (Budget Session) of the Seventh Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi to meet at Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054 on Friday, the 17th March, 2023 at 11:00 A.M.

Sd/-Vinai Kumar Saxena Lieutenant Governor, Delhi"

I am to request you to attend the session of the Legislative Assembly accordingly.

Yours Sincerely,

(Raj Kumar) Secretary

Hon'ble Members, Legislative Assembly, National Capital Territory of Delhi.